

पत्रांक-01/मू०सं०अ०न्या०/विविध-03/2020 -113 (339)

बिहार सरकार
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण

चतुर्थ तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना।

Phone No-06122547005

E-mail Id. - reat-bih@gov.in

प्रेषक,

राहुल,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19/02/2021

विषय:- भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना में संविदा के आधार पर एक अंग्रेजी आशुलिपिक के नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर एक अंग्रेजी आशुलिपिक के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आवश्यक सामग्री हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी) में भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन दो (02) स्थानीय समाचार-पत्रों यथा:-दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण तथा एक (01) स्थानीय दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र यथा-Times of India में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाये।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण
बिहार, पटना।

बिहार सरकार


भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
चतुर्थ तल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना।

Phone No-0612-2547005

E-mail Id:- reat-bih@gov.in

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

1. भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना में माननीय उच्च न्यायालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग अथवा क्षेत्रीय आशुलिपिक सेवा के एक (01) सेवानिवृत्त अंग्रेजी आशुलिपिक के संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्धारित की जाती है।
2. संविदा नियोजन हेतु निर्धारित शर्तों एवं निर्धारित प्रपत्र को भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के वेबसाइट www.reat.bih.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।


(रजिस्ट्रार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

विहित-प्रपत्र

1.	विज्ञापन संख्या	:—						फोटो स्वअभिप्रमाणित
2.	किस पद के लिए आवेदन किया	:—						
3.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	:—						
	(अंग्रेजी में)	:—						
4.	Email ID & Mobile No.	:—						
5.	अभ्यर्थी के माता/पिता/पति या पत्नी का नाम	:—						
6.	जन्म तिथि	:—						
7.	उम्र - (दि० 01.03.2021 को)	:—						
8.	लिंग (पुरुष/महिला)	:—						
9.	योग्यता	:—						
10.	वर्तमान पता	:—						
11.	स्थायी पता	:—						
12.	नियुक्ति की तिथि (समकक्ष पद पर)	:—						
13.	किस पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उसका पदनाम/कार्यालय का नाम /सेवानिवृत्ति की तिथि	:—						
14.	विभिन्न विभागों में कार्यानुभव की अवधि	:—	S. N.	Name of department	post held	period	Field of experience	Years of Experience
15.	पी०पी०ओ०संख्या (पी० पी०ओ० का अभिप्रमाणित छाया प्रति संगन करें)	:—						

16	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/ निगरानी वाद/ विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं। पूर्ण विवरण के साथ।	:-					
17	भाषा (अंग्रेजी)		<table border="1"> <tr> <th>शॉर्टहैंड गति (प्रति मिनट)</th> <th>टंकण गति कंप्यूटर पर (प्रति मिनट)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	शॉर्टहैंड गति (प्रति मिनट)	टंकण गति कंप्यूटर पर (प्रति मिनट)		
शॉर्टहैंड गति (प्रति मिनट)	टंकण गति कंप्यूटर पर (प्रति मिनट)						
18	संलग्न दस्तावेजों की सूची	:-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 				

मैं घोषणा करता/करती हूँ उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

आवेदक का हस्ताक्षर

पी०पी०ओ०संख्या:-

स्थान:-

तिथि:-



बिहार सरकार

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना

संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय/व्यवहार न्यायालय के एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आशुलिपिक के संविदा पर नियोजन हेतु empanelment के लिए निम्न शर्तों के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. empanelment के उपरान्त यदि नियोजन किया जाता है तो निम्न शर्तों के अधीन होगा।
 - i. उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मी को नियोजन हेतु empanelment किया जायेगा, जो उच्च न्यायालय/व्यवहार न्यायालय में अंग्रेजी आशुलिपिक/अंग्रेजी निजी सहायक/अंग्रेजी सचिव/अंग्रेजी वरीय सचिव के पद पर पदस्थापित रहे हों।
 - ii. चयन हेतु उम्मीदवार का अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः 02 (दो) वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।
 - iii. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक न हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
 - iv. आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को आवेदक का उम्र 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - v. नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
 - vi. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
 - vii. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा, जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।
 - viii. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
 - ix. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

- x. संविदा पर नियोजित सरकारी सेवक को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
- xi. वैसे कर्मी जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अधिरोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेगी।
- xii. अनिवार्यतः पी०पी०ओ० की प्रति संलग्न करनी होगी।
- xiii. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।
- xiv. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित कर्मी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(संकेत)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।



बिहार सरकार

दि. - 26-02-2021

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण

चतुर्थ तल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना।

Phone No-0612-2547005, E-mail Id:- reat-bih@gov.in

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

1. भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना में माननीय उच्च न्यायालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग अथवा क्षेत्रीय आशुलिपिक सेवा के एक (01) सेवानिवृत्त अंग्रेजी आशुलिपिक के संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्धारित की जाती है।
2. संविदा नियोजन हेतु निर्धारित शर्तों एवं निर्धारित प्रपत्र को भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के वेबसाइट www.reat.bih.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।

(राहुल) विशेष कार्य पदाधिकारी,

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना

PR- 013423 (Ni.Ni.) 2020-21

बिहार सरकार की जानकारी अथवा सहाय हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।